

अल्पकालिक निविदा सूचना

44वीं वाहिनी पीएसी गैरस्ट के परिसर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में फलों का जूस एवं फल इत्यादि बेचने के लिये जूस काउण्टर हेतु सील बन्द लिफाफे में अल्पकालिक निविदा आमंत्रित किये जाते हैं-

जूस काउण्टर को ठेके पर लिये जाने हेतु सील बन्द निविदाये गृह बन्द लिफाफे में दिनांक 16-10-2023 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिये, लिफाफे के ऊपर जूस काउण्टर के लिये टेण्डर लिखा होना चाहिये, विलम्ब से अथवा अपूर्ण प्राप्त होने वाली निविदाये स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा निर्धारित प्रपत्र, जो 44वीं वाहिनी पीएसी, गैरस्ट के अन्तर्गत प्रधान लिपिक शाखा से नकद रु०-400/- एवं निर्धारित देय 12 प्रतिशत जी०एस०टी० जमा का भुगतान प्रदान कर प्राप्त किया जा सकता है, निविदा निर्धारित प्रपत्र, पर होनी आवश्यक है, जो तद्दिनांक को दोपहर 02:00 बजे कार्यालय में वाहिनी के उपलब्ध राजपत्रित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

सेनानायक को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा, कि वह कोई भी निविदा स्वीकार कर सकते हैं। अस्वीकार की गयी निविदा के लिये कारण बताने के लिये बाध्य नहीं होंगे। प्रत्येक निविदा के साथ रु०-5000/- अर्नेस्ट मनी के रूप में संलग्न करना होगा। जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकार होगी, उसे सूचना दिये जाने के एक सप्ताह के अन्दर (एग्जीमेन्ट डीड) नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भर्ना होगा। जिसके प्रतिबन्धों के लिये वह बाध्य होगा।

स्वीकृत निविदा वाले व्यक्ति को सूचना के एक सप्ताह के अन्दर धनराशि रु०- 5000/- बतौर जमानत के वाहिनी मेनिटीज फण्ड में आंकिंग के पास जमा करनी होगी। यदि निविदा स्वीकृत होने के बाद सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारित अवधि के अन्दर-पत्र (एग्जीमेन्ट डीड) नहीं भरता है अथवा जमानत की धनराशि जमा नहीं करता है, तो उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुये दूसरे व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जा सकती है अथवा पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकती है। इस सम्बन्ध में सेनानायक जो उचित समझे कार्यवाही कर सकते हैं।

जूस काउण्टर ठेके की निर्धारित अवधि से पूर्व यदि ठेकेदार जूस काउण्टर बन्द करता है, तो ठेकेदार के द्वारा दिये गये एग्जीमेन्ट के आधार पर उसकी जमानत धनराशि जब्त कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

निविदा की शर्तें

1- फलों की क्वालिटी एवं कीमत प्रत्येक माह वाहिनी के राजपत्रित अधिकारी से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही विक्रय की जा सकेगी।

2- किसी नशीले पदार्थ गुटका/सिगरेट/वीडी/तम्बाकू आदि का विक्रय नहीं किया जायेगा।

3- ठेका मिलने वाले व्यक्ति को बटालियन एग्जीमेन्ट फण्ड रिबेट नहीं होगा। रिबेट देने वाले ठेकेदार की निविदा स्वीकृति पर सेनानायक द्वारा विचार किया जायेगा।

4- ठेकेदार जूस काउण्टर में ताजे फलों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता का दावा पाये जाने पर ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जा सकता है।

5- ठेकेदार को निम्न शर्तों पर आधारित फार्म भर्ना होगा। इस लिये वही व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करें जिनको शर्त स्वीकार होगी:-

रिबेट की धनराशि रु०- 7000/- प्रतिमाह की दर से कम नहीं होगी।

भूमि का किराया- रु०- 250-00 प्रतिमाह

स्वीपर/कूड़ा निस्तारण चार्ज रु०- 250-00 प्रतिमाह

पानी चार्ज रु०- 200-00 प्रतिमाह

विजली चार्ज मीटर रीडिंग की दर से प्रतिमाह देना होगा।

6- उक्त काउण्टर का ठेका निविदा के स्वीकृति के दिनांक से 31.03.2024 तक रहेगा।

7- ठेकेदार उक्त काउण्टर में एवं उसके आस-पास किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन सेनानायक की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेगा।

8- ठेकेदार काउण्टर एवं उसके आस-पास स्वच्छता बनाये रखेगा। प्रतिबन्धित प्लास्टिक ग्लास/पॉलिथिन का प्रयोग नहीं करेगा।

9- ठेकेदार काउण्टर में किसी अधिकारी/कार्मचा का व्यक्तिगत कच्चा अथवा पक्का सामान या आपत्तिजनक वस्तु नहीं बेचेगा।

10- जूस काउण्टर में कोई नशीली वस्तु तरकर का सामान, स्वारथ के लिये हानिकारक सामान या अन्य आपत्तिजनक सामान नहीं बेचेगा।

11- ठेकेदार एक माह में मुख्य आरक्षी/आरक्षी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को रु०-400-00 प्रतिमाह एवं दलनायक/गुलनायक को रु०-500-00 प्रतिमाह से अधिक धनराशि का सामान उधार नहीं देगा। यदि देता है तो उसकी जिम्मेदारी वाहिनी के किसी अधिकारी की नहीं होगी।

For website

SP/AD

11/10/23

- 12- काउण्टर पर कोई भी रोगग्रस्त व्यक्ति नौकर के रूप में नहीं रखेगा।
- 13- काउण्टर खुले होने पर सेनानायक अथवा वाहिनी के अन्य राजपत्रित अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के काउण्टर का निरीक्षण कर सकते हैं।
- 14- ठेकेदार काउण्टर में उपलब्ध फलों एवं जूसों की एक सूची काउण्टर में लगायेगा।
- 15- ठेकेदार काउण्टर का ठेका किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा।
- 16- ठेकेदार अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, खराब फल/जूस बेचता है, अधिक रेट पर सामान बेचने की शिकायत मिलती है, वाहिनी में प्रचलित नियमों को तोड़ता है, प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करता है या ऐसा करने के लिये किसी कर्मचारी को बढावा देता है तो सेनानायक को अधिकार होगा कि ठेकेदार के विरुद्ध ₹0-500-00 तक जुर्माना कर सकता है। ठेकेदार काउण्टर ठेके की निर्धारित अवधि से पूर्व यदि कैंटीन समाप्त करता है तो ठेकेदार के द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 20- प्रत्येक ठेकेदार अपने-अपने टेण्डर के साथ अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी संलग्न करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत होना चाहिये।
- 21- कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करेगा।

पत्राक: क-०१/2023

दिनांक ०७-10-2023


 सेनानायक
 44वीं वाहिनी पीएसी
 मेरठ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- पुलिस उप महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं पुलिस तकनीकी सेवाये मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त टेण्डर नोटिस का विज्ञापन पुलिस विभाग की वेबसाईड पर प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।
- 3- जिलाधिकारी, मेरठ।
- 4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद/गौतमबुद्धनगर/बुलन्दशहर/बागपत/हापुड/शामली/मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर।
- 5- जिला सूचना अधिकारी मेरठ को सूचनार्थ एवं स्थानीय अखबार में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
- 6- सेनानायक 6/41/47/49वीं वाहिनी पीएसी।
- 7- ठेकेदार श्री विशाल कुमार सक्सेना पुत्र श्री रामानन्द, निवासी एल-1069 शास्त्री नगर मेरठ।
- 8- ठेकेदार श्री भैयालाल पुत्र श्री प्रभाती लाल, बी-864 सैनिक विहार, ककरखेडा मेरठ।
- 9- ठेकेदार श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, म०न०-14 न्यू हनुमानपुरी, एस०के०रोड, मेरठ।
- 10- ठेकेदार श्री नानक मित्तल, सिगनल रेजीमेन्ट मेरठ कैंप मेरठ।
- 11- ठेकेदार श्री कान्तीलाल, इन्जीनियरिंग वर्कशाप मेरठ कैंप मेरठ।
- 12- ठेकेदार श्री जगमोहन बंसल, बंसल कैंटीन रजबन मेरठ।
- 13- ठेकेदार श्री सुदेश मलिक, जागृति बिहार, मेडिकल कालेज के सामने, मेरठ।
- 14- ठेकेदार श्री उमाशंकर गोयल, बेगा इन्टरप्राइजेज दिल्ली रोड मेरठ।
- 15- ठेकेदार कैंटीन 6पीएसी, मेरठ।
- 16- ठेकेदार श्री बंजरग लाल शर्मा पुत्र श्री नत्थूलाल, निवासी नागला बनेटी जयपुर राजस्थान।
- 17- कैंटीन ठेकेदार पी०टी०एस०/ पुलिस लाइन मेरठ।
- 18- ठेकेदार श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम काजीपुर थाना खरखौदा डाक घोसीपुर तहसील मेरठ।
- 19- शिविरपाल/प्रधान लिपिक/आंकिक, 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 20- श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री पवन कुमार शर्मा, गांव-बनेटी, तहसील-कोटपुतली जिला-जयपुर (राजस्थान)